न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपीलः 22 / 2016
दायर दिनांकः 22.06.2016
निर्णय दिनांक 24.03.2026

—: अनवान :—

श्री पीथा पिता रूपसिंह जी रावत आयु वयस्क निवासी पोकरिया कोट तहसील भीम जिला राजसमन्द

— **अपीलार्थी**

—: बनाम :—

1. श्री बाबुसिंह पिता भुरसिंह जी रावत आयु वयस्क निवासी पोकरिया कोट तहसील भीम जिला राजसमन्द **(मतृक)(ड्रोप)**
2. श्री सोहनसिंह पिता भुरसिंह जी रावत आयु वयस्क निवासी पोकरिया, कोट तहसील भीम जिला राजसमन्द
3. श्रीमति प्रेमदेवी पुत्री भुरसिंह जी रावत **मतृक के बजाय**
   3 / 1. श्रीमती सवीता देवी पुत्री शेषुसिंह जी पत्नी किशोर सिंह जी रावत आयु वयस्क निवासी कुकरखेडा भीम हाल निवासी धर्मेशपुरी, भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द
4. श्रीमति फेफीदेवी बेवा भुरसिंह जी रावत आयु वयस्क निवासी पोकरिया कोट तहसील भीम जिला राजसमन्द **(मतृक)(ड्रोप)**
5. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, भीम जिला राजसमन्द

— **रेस्पोडेण्टगण**

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 116 दिनांक 22.12.2010 द्वारा तहसीलदार भीम

उपस्थितः—

1. श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 05
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 अनुपस्थित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध तहसीलदार, भीम द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 116 दिनांक 22.12.2010 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं स्व. भूरसिंह पिता रूपसिंह जी रावत निवासी पोकरिया कोट भीम तहसील भीम का सगा भाई है, अपीलान्ट एवं स्व. भूरसिंह पिता रूपसिंह जी की राजस्व ग्राम पेलाडोल तहसील भीम में सहखातेदारी की कृषि भूमीयां स्थित है। स्व. भूरसिंह जी के कोई जायन्दा पुत्र एंव पुत्रियां नहीं है तथा उनका स्वर्गवास दिनांक 24.05.1991 को लाऔलाद हो गया। उनके विधिक उत्तराधिकारी एक मात्र अपीलान्ट है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक, दो, तीन व चार स्व. भूरसिंह पिता रूपसिंह जी के वारिशान नहीं है, भुरसिंह जी के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्रियाँ नहीं रही तथा भुरसिंह जी की पत्नि का नाम फेफी बाई नहीं होकर स्व. जमनी देवी था जिनका भी स्वर्गवास हो गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक, दो, तीन व चार ने मिलीभगत कर इनके पूर्वाधिकारी का नाम भी भूरसिंह होने का नाजायज लाभ उठा फर्जी तरिके से स्व. भूरसिंह पिता रूपसिंह जी के वारिस बन कर दिनांक 22.12.2010 से अपीलान्ट से पोशिदा रखकर बाला–बाला मिलीभगत करते हुए गलत रूप से स्व. भूरसिंह जी की बजाय राजस्व अभिलेखो में रेस्पोन्डेन्ट संख्या एक, दो, तीन व चार ने अपना दर्ज करवा दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो दिनांक 16.05.2016 को अपीलान्ट के आधिपत्य व उपयोग उपभोग की भूमी पर आये तथा इन भूमीयों में भूरसिंह जी की बजाय उनका नाम दर्ज होने का कहते हुए भूमियां विक्रय करने का कहने लगे तो अपीलान्ट ने उक्त भूमियां अकेले के खातेदारी आधिपत्य व उपयोग उपभोग की होने व रेस्पोडेन्ट का अधिकार नहीं होने का कहा तो धमकिया देने लगे कि इन भूमियों के राजस्व अभिलेखों में रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज है तथा वे अवश्य ही इन भूमियों को विक्रय करेगें। इस पर अपीलान्ट ने नकल प्राप्त की। तो अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण गलत रूप से फर्जीवाडा कर बाला बाला अपीलान्ट से पोशिदा रख अपीलान्ट को बिना सुने एंव सूचित किये निर्णित किया। स्व. भूरसिंह जी पिता रूपसिंह जी रावत के जायन्दा कोई पुत्र व पुत्रियाँ नहीं थी तथा उनकी पत्नि स्व. जमनी देवी थी जिनका स्र्वगवास हो चुका है। अधिनस्थ तहसीलदार साहब ने बिना विरासत की जानकारी किये रिस्पोडेन्ट संख्या एक से चार जो कि स्व. भूरसिंह जी के वारिस ही नहीं के नाम नामान्तरकरण खोलने में भुल की है। प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया उसे फैसल करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो सूचित किया गया न ही सुना गया और बाला बाला अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या एक से चार जो कि स्व. भूरसिंह जी के वारिस नहीं है वो नाजायज लाभ उठाने की गर्ज से मिलिभगत से फैसल किया है, उक्त सारी कार्यवाही फर्जी तरीके से की गई है जो कि कानुनन अवैध व शुन्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर श्रीमान्

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

तहसीलदार साहब भीम द्वारा राजस्व ग्राम पेलाडोल तहसील भीम का नामान्तरकरण संख्या 116 दिनांक 22.12.2010 फैसल किया। उसे अपास्त व निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम खुलवाये जाने का आदेश प्रदान करावे, अन्य अनुतोष जो अपीलान्ट के पक्ष में दिलाया जावें।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 की मृत्यु हो जाने और उनके वारिसान पहले से पक्षकार होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3/1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित दी

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार करते हुए धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं स्व. भूरसिंह पिता रूपसिंह जी रावत निवासी पोकरिया कोट भीम तहसील भीम का सगा भाई है, अपीलान्ट एवं स्व. भूरसिंह पिता रूपसिंह जी की राजस्व ग्राम पेलाडोल तहसील भीम में सहखातेदारी की कृषि भूमीयां स्थित है। स्व. भूरसिंह जी के कोई जायन्दा पुत्र एंव पुत्रियां नहीं है तथा उनका स्वर्गवास दिनांक 24.05.1991 को लाऔलाद हो गया। उनके विधिक उत्तराधिकारी एक मात्र अपीलान्ट है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक, दो, तीन व चार स्व. भूरसिंह पिता रूपसिंह जी के वारिशान नहीं है, भुरसिंह जी के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्रियाँ नहीं रही तथा भुरसिंह जी की पत्नि का नाम फेफी बाई नहीं होकर स्व. जमनी देवी था जिनका भी स्वर्गवास हो गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक, दो, तीन व चार ने मिलीभगत कर इनके पूर्वाधिकारी का नाम भी भूरसिंह होने का नाजायज लाभ उठा फर्जी तरिके से स्व. भूरसिंह पिता रूपसिंह जी के वारिस बन कर दिनांक 22.12.2010 से अपीलान्ट से पोशिदा रखकर बाला–बाला मिलीभगत करते हुए गलत रूप से स्व. भूरसिंह जी की बजाय राजस्व अभिलेखो में रेस्पोन्डेन्ट संख्या एक, दो, तीन व चार ने अपना दर्ज करवा दिया। अधिनस्थ तहसीलदार साहब ने बिना विरासत की जानकारी किये रिस्पोडेन्ट संख्या एक से चार जो कि स्व. भूरसिंह जी के वारिस ही नहीं के नाम नामान्तरकरण खोलने में भुल की है। प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया उसे फैसल करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो सूचित किया गया न ही सुना गया और बाला बाला अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

एक से चार जो कि स्व. भूरसिंह जी के वारिस नहीं है वो नाजायज लाभ उठाने की गर्ज से मिलिभगत से फैसल किया है, उक्त सारी कार्यवाही फर्जी तरीके से की गई है जो कि कानुनन अवैध व शुन्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार भीम द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 116 दिनांक 22.12.2010 को निरस्त किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार भीम द्वारा नामान्तकरण में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण के संबंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा विचारणीय अपील तहसीलदार भीम द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 116 दिनांक 22.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 116 दिनांक 22.12.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इस नामांतरकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम द्वारा खातेदार श्री भूर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी भूमि का इंद्राज रेस्पोंडेंट्स (श्री बाबू सिंह, सोहन सिंह, प्रेम देवी और मुसमात फेफी) के पक्ष में किया गया था। इसमें अपीलान्ट श्री रूप सिंह का पुत्र पीथा सिंह द्वारा यह अवगत कराया गया कि भूर सिंह पिता रूप सिंह की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि जिन वारिसान के नाम दर्ज की गई हैं। जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 हैं। वह किसी अन्य भूर सिंह के वारिसान हैं। अर्थात उनके गावॅ में दो भूर सिंह थे। प्रथम भूर सिंह अपीलान्ट का सगा भाई, जिसके पिता का नाम रूप सिंह और दादा का नाम भाऊ सिंह था। इनकी पत्नी का नाम जमनी बाई था तथा जिस भूर सिंह के वारिसान के नाम भूमि दर्ज हुई है, उनके पिता का नाम भी रूप सिंह था, परंतु उनके दादा का नाम काना जी था। अर्थात इस गावॅ में एक ही नाम के दो व्यक्ति थे। एक अपीलांट का सगा भाई भूर सिंह पिता रूप सिंह था तथा एक कोई अन्य व्यक्ति भूर सिंह पिता रूप सिंह था। परन्तु अन्य व्यक्ति भूर सिंह की पत्नी का नाम फेफी अंकित किया गया नामान्तरकरण में। जबकि जो वास्तविक भूर सिंह था उसकी पत्नी का नाम जमनी बाई था। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी पत्रावली में प्रस्तुत हुआ हैं। अर्थात जो अपीलांट का भाई श्री भूर सिंह था और उसकी पत्नी श्रीमती जमनी बाई थी। इनके कोई भी संतान नहीं थी। अतः यह सभी भूमि अपीलांट हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम सूची के अनुसार, यह भूमि अपीलान्ट के नाम पर होनी चाहिए की मांग की हैं। तथा जो नामान्तरकरण किया गया हैं। उसे निरस्त किये जाने की मांग की है। यहॉ पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्य तथा उसके संबंध में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रस्तुत शपथ पत्र और सभी दस्तावेजों से यह जाहिर हुआ है कि अपीलांट के भाई श्री भूरसिंह की पत्नी श्रीमती जमनी बाई थी। तथा उनके कोई संतान नही थी। फिर भी भूर सिंह की मृत्यु पर जो नामांतरकरण दर्ज हुआ हैं। वह किसी अन्य भुर सिंह के वारिसानो के नाम दर्ज हुआ है। तो मैं अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरण को इस तथ्यात्मक त्रुटि के आधार पर खोले गये नामान्तरण को निरस्त किये जाने के आदेश देता हूँ तथा साथ ही यह निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट के भाई श्री भूरसिंह के कानूनी जायन्दा वारिसान की हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत सावधानीपूर्वक जाँच की जाए और जाँच के पश्चात नए सिरे से नामांतरकरण का फैसला किया जाए।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीम द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 116 दिनांक 22.12.2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार भीम को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं। कि मृतक काश्तकार के हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची के उत्तराधिकारीयों की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही नये सिरे से किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)